न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

धीसा पिता बालू सुथार बनाम श्री भूमि धारी जी तहसीलदार

करम मुकदमा 52/22 नं. .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारिख में जारी हुए
15.4.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा काछन्द्रा प.ह. काछन्द्रा की आराजी स. 1350 मे प्रार्थी का नाम बालू पिता धीसा धाकड़ के स्थान पर धीसा पिता बालू खाती व हिस्सा 1/21 के स्थान पर हिस्सा 1/2 एवं नक्शा ट्रेस मे आ.स. 1350 को आ.स. 1348 की पूर्वी दिशा मे तरमीम करते हुए आ.स. 1349 की दक्षिणी सीमा तक पूर्वानुसार तरमीम किया जावे। इस पर पैरोकार तहसीलदार बेगू ने अपनी बहस जवाब प्रा-पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रा.पत्र अनुसार सही है। प्रा-पत्र स्वीकार किया जाने मे कोई आपत्ति नही है। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व प्रकरण मे पैरोकार तहसीलदार बेगू के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा-पत्र का अवलोकन किया जाने के पश्चात प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र अ.धा. 136 R.A का स्वीकार किया जाता है। मौजा काछन्द्रा प.ह. काछन्द्रा की आराजी स. 1350 मे प्रार्थी खातेदार का नाम "बालू पिता धीसा धाकड़" के स्थान पर धीसा पिता बालू खाती व हिस्सा 1/21 के स्थान पर हिस्सा 1/2 व नक्शा ट्रेस मे आराजी स. 1350 को आराजी 1348 की पूर्वी दिशा मे तरमीम करते हुए आराजी स. 1349 की दक्षिणी सीमा तक पूर्वानुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बेगू को दिये जाते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	आदेश कि प्रति तहसीलदार बेगू को मालनार्थ दिजाव मत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सवाग